स0स0–3 / विविध–01–50 / 2025–

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के अवर सचिव ।

ई–मेल / निबंधित

सेवा मे,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक

विषयः **अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में प्रभारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करने के संबंध में ।**

प्रसंग विभागीय पत्रांक 1091(3) दिनाक 21 12.2021 एव 507(3) दिनाक 26.07.2023

महाशय / महाश्या,

उपुर्यक्त विषय के संबध मे निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में प्रसागिक पत्रों के द्वारा सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित चिकित्सको में से वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को हीं संस्थान का प्रभारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किए जाने का निदेश है । इसके बावजूद प्रायः अधिकांश जिला से इस आशय की सूचना / शिकायत / परिवाद प्राप्त होता है कि असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से उक्त विभागीय निदेश का अवहेलना करते हुए स्वास्थ्य संस्थान के कनीय चिकित्सक को प्रभारी–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी घोषित कर दिया जाता है । इससे प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न होती है और ऐसे मामलो से सबधित वाद माननीय न्यायालय मे दायर किया जाता है जिससे विभाग पर अनावश्यक कार्यबोझ एवं असहज की स्थिति उत्पन्न होती है ।

अतएव प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित मे आपको पुन निदेशित किया जाता है कि–

(क) स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थापित चिकित्सको मे से वरीय चिकित्सा पदाधिकारी (बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग) को ही उक्त सस्थान का प्रभारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाए ।

(ख) प्राय यह देखा जा रहा है कि किसी सस्थान के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध मात्र शिकायत पत्र प्राप्त होते ही उसे प्रभारी–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी के पद से हटा दिया जाता है । इस सबध मे स्पष्ट करना है कि चिकित्सक के विरूद्ध मात्र शिकायत पत्र प्राप्त होने पर प्रभारी–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी के पद से हटाया न जाए बल्कि प्राप्त शिकायत पत्र की जॉच कर अपवादिक स्थिति मे अगले वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को प्रभारी–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी घोषित करने का प्रस्ताव मतव्य के साथ विभाग को भेजा जाए जिस पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा एव विभाग से दिशानिर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए । यह अपवादिक मामलों एव विशेष परिस्थिति मे आरोप की जॉच के पश्चात ही किया जा सकता है ।

(ग) यदि विशेष परिस्थिति मे किसी अन्य सस्थान के चिकित्सक को प्रभारी–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी घोषित करना हो तो ऐसी परिस्थिति में पूरी वस्तुस्थिति अंकित करते हुए औचित्य के साथ प्रस्ताव विभाग को भेजा जाए । विभागीय अनुमोदन/मार्गदर्शन के उपरान्त ही प्रभारी–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाए ।

(घ) उपरोक्त निदेशो के अवहेलना के उपरान्त यदि किसी कनीय चिकित्सक को प्रभारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किए जाने का मामला विभाग के सज्ञान मे आता है तो ऐसी परिस्थिति मे विभागीय आदेशो की अवहेलना के आरोप मे सबधित नियत्री पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी ।

इसमे माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक. 5826(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 26/9/25

प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय निदेश का अनुपालन नही होने पर मामले की समीक्षा करते हुए वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि सबंधित नियत्री पदाधिकारी के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके ।

प्रतिलिपिः सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशाखा–2 7,8 9 एव 10 को सचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

26/9/25

सरकार के अवर सचिव